

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13451

दिनांक:- 22/5/17

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	निकिता जैन	कनिष्ठ लिपिक	राजसमन्द	उदयपुर
2	श्री केशुराम जाट	कनिष्ठ लिपिक	श्रीकरणपुर	बीकानेर
3	श्री दीपक कुमार	कनिष्ठ लिपिक	हनुमानगढ़	श्रीविजयनगर
4	श्रीमती मैनाका देवी	कनिष्ठ लिपिक	जयपुर	राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, जयपुर
5	श्री रामचन्द्र विश्नोई	सहायक पर्चा वितरक	श्रीविजयनगर	हनुमानगढ़
6	श्रीमती ममता पाटीदार	फायरमैन	डूंगरपुर	सागवाडा
7	श्री निलेश कुमार पाटीदार	फायरमैन	सागवाडा	डूंगरपुर
8	श्री राधेश्याम देवडवाल	फायरमैन	ब्यावर	जयपुर
9	श्री शत्रुघ्न सिंह देवडा	फायरमैन	सिरोही	शिवगंज
10	श्री दिलखुश गुर्जर	फायरमैन	भीलवाडा	दौसा

विभागीय आदेश क्रमांक 12360-12563 दिनांक 06.05.2017 के क्रम संख्या 41 के द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार गर्ग, कार्यालय सहायक, नगर पालिका, वैर का नगर परिषद, अलवर में किया गया पदस्थापन/स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

विभागीय आदेश क्रमांक 13100-13197 दिनांक 08.05.2017 के क्रम संख्या 09 के द्वारा श्री संजय, कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, बग्गड का नगर पालिका, बिसाउ में किया गया पदस्थापन/स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।

4

क.प.उ.

4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. जिस कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(मुकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:- प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13452-13507 दिनांक:- 22/5  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षै0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर/भरतपुर।
4. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/बीकानेर/उदयपुर।
5. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी/नगर परिषद/पालिका.....।
6. श्री.....पद..... नगर पालिका.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त निदेशक